सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 4711 / 1041 / 2015 दिनांक:– 21.12.2016

के मामले में:

श्री रमाकान्त सिंह चन्देल,
एनटीपीसी लिमिटेड, D620
सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन,
डाकघर – उज्जवलनगर,
बिलासपुर – 495555 (छत्तीसगढ़) ..... शिकायतकर्ता

बनाम

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, D621
द्वारा – सचिव,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्यूनिटी सेन्टर,
प्रीत विहार, नई दिल्ली– 110092 ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीख: 15.11.2016

उपस्थित:'–
1. रमाकान्त सिंह चंदेल, शिकायतकर्ता ।
2. सर्वश्री संदीप टंडन, अनुभाग अधिकारी एवं संजय कुमार खन्ना, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्री रमाकान्त सिंह चंदेल, दृष्टिबाधित व्यक्ति ने नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा जून, 2015 में परीक्षा केन्द्र – दिल्ली पब्लिक स्कूल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पर ब्रेल लिपि में प्रश्न–पत्र उपलब्ध न कराए जाने से संबंधित शिकायत दिनांक 03.07.2015 इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि यूजीसी नेट परीक्षा जून, 2015 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई थी । वे (क्रमांक 13003) उक्त परीक्षा में दिनांक 28.06.2015 को परीक्षा केन्द्र – दिल्ली पब्लिक स्कूल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हुए थे । इस परीक्षा हेतु विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया था कि

...2 / –

दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को सभी प्रश्न–पत्र बेल लिपि में उपलब्ध कराए जाएंगे परन्तु परीक्षा में कोई भी प्रश्न–पत्र ब्रेल लिपि में उपलब्ध नहीं कराया गया । इस विषय में परीक्षा केन्द्र प्रभारी तथा सीबीएसई द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक/प्रतिनिधियों से अनुरोध करने पर उन्होंने अपनी विवशता व्यक्त करते हुए प्रश्न–पत्र ब्रेल लिपि में प्राप्त न होने की बाबत कही एवं वर्तमान परिस्थिति में ही प्रश्न–पत्र हल करने की सलाह दी तथा सीबीएसई को लिखित रूप में अवगत कराने को कहा । इसके अलावा शिकायतकर्ता ने यह भी शिकायत की है कि परीक्षा केन्द्र द्वारा दिए गए लेखक को भी बार–बार बदला जा रहा था । जिससे परीक्षा में लेखक के साथ उचित सामन्जस्य स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 03.08.2015 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् इस न्यायालय के पत्र दिनांक 13.11.2015 एवं 11.08.2016 को स्मरणपत्र भी जारी किए गए ।

4. उप सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 23.08.2016 के द्वारा यह सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ब्रेल लिपि में केवल 43 अनुसूचित विषयों के प्रश्न पत्र छापने का प्रावधान है जिसमें हिन्दी विषय शामिल नहीं है । शिकायतकर्ता श्री रमाकान्त चन्देल ने हिन्दी का विषय चुना था, इसलिए ब्रेल लिपि का प्रश्न पत्र नहीं दिया गया ।

5. प्रतिवादी से उनके पत्र दिनांक 23.08.2016 द्वारा टिप्पण पर विचारोपरान्त मामले की सुनवाई दिनांक 15.11.2016 के लिए निर्धारित की गई ।

6. दिनांक 15.11.2016 को शिकायतकर्ता के अनुरोध पर मामले में सुनवाई दिनांक 16.11.2016 को सुनिश्चित की गई और दोनों पक्षों को निर्धारित समय पर इस न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया ।

7. दिनांक 16.11.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि मैं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षाा बोर्ड द्वारा आयोजित सीबीएसई–नेट परीक्षा के तहत 8 जून, 2015 को हिन्दी विषय के साथ उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुआ था । उक्त परीक्षा के विज्ञापन में उल्लेख होने के बावजूद मुझे तीनों प्रश्नपत्रों में से कोई भी प्रश्नपत्र ब्रेल लिपि में प्रदान नहीं किया गया । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षाा बोर्ड का कथन है कि वे कुल 43 विषयों में ब्रेल लिपि में प्रश्नपत्र प्रदान करते हैं, जिसमें हिन्दी विषय सम्मिलित नहीं है । मेरे मतानुसार यह राजभाषा हिन्दी की उपेक्षा है

....3/–

और भारतीय संविधान द्वारा पारित राजभाषा अधिनियम व राजभाषा नियम, 1976 के प्रतिकूल है । साथ ही इसमें संविधान के राजभाषा हिन्दी संबंधी प्रावधानों की उपेक्षा है । उक्त नेट परीक्षा मैंने तेल और प्राकृतिक गैस नियम लिमिटेड में राजभाषा अधिकारी के पद पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए दी थी किन्तु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षाा बोर्ड के इस प्रकार के व्यवहार से मैं अपने उपर्युक्त उद्देश्य में सफल नहीं हो सका जिससे मुझे कैरियर संबंधी हानि भी हुई है । साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि नेट का प्रथम प्रश्नपत्र जो दोनों भाषाओं (हिन्दी और अंग्रेजी) में होता है, वह प्रश्नपत्र भी मुझे ब्रेल लिपि में उपलब्ध नहीं कराया गया । अतः माननीय न्यचायालय से अनुरोध है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षाा बोर्ड तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें जिससे मेरी शिकायत का निवारण हो सके ।

8. प्रतिवादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, जोकि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है । इसका अपना अलग विधिक अस्तित्व है और इसके अपने नियम और विनियम है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने अर्धशासकीय पत्र. संख्या एफ.4–1/2012 (नेट) पार्ट फाइल दिनांक 06.08.2014 द्वारा ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नेट परीक्षा आयोजित करने की प्राधिकार प्रत्यायोजित किया है । इसी प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिसम्बर, 2014 में प्रथम नेट परीक्षा आयोजित की थी और तत्पश्चात् उसे आयोजित कर रहा है । इस नेट परीक्षा को आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिनका केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अनुपालन कर रहा है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नेट परीक्षा–2015, जिसमें शिकायतकर्ता सम्मिलित हुआ था, में हिन्दी प्रश्नपत्र का ब्रेल फोरमेट प्रदान करने में कोई अतिक्रमण अथवा उल्लंघन नहीं किया है । इसके पीछे कारण यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विषयों की अपनी सूची में दिव्यांगजनों के लिए विनिर्दिष्टया हिन्दी विषय का प्रश्नपत्र ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराना सम्मिलित/दर्शित नहीं किया है । इस संबंध में न्यायालय का ध्यान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16–110/2003–डीडी.।।। दिनांक 26.02.2013 की ओर आकर्षित किया, जिसकी दिशा–निर्देश संख्या VII इस प्रकार है:–

> "VII. Persons with disabilities should be given the option of choosing the mode for taking the examination i.e. in Braille or in the

computer or in large print or even by recording the answers as examining bodies can easily make use of technology to convert question paper in large prints, e-text, or Braille and can also convert Braille text in **English** or **regional languages**."

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हिन्दी विषय का प्रश्नपत्र ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराने के संबंध मे निर्देश जारी किए जाते हैं तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं होगी और वह भविष्य में आयोजित की जाने वाली नेट परीक्षा में उसका अनुपालन करेगा ।

9. पक्षकारों को सुनने के पश्चात् एवं मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् प्रतिवादी को यह निर्देश दिया जाता है कि वे भविष्य में आयोजित की जाने वाली नेट परीक्षा में अन्य प्रश्न–पत्र ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराने के साथ–साथ हिन्दी विषय का प्रश्नपत्र ब्रेल भाषा में भी उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त करें । इस आदेश की एक प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जाए ।

10. उपरोक्त निर्देशों के साथ मामले का निपटारा किया गया ।

(डा.कमलेश कुमार पाण्डे)
मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन

प्रतिलिपिः–

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफ़्फर मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।